परिशिष्ट (अ)
[12/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 3909]

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्र. 1477/2796/1/3/05 — भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2005

प्रति,

प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/
आयुक्त, लोक शिक्षण, आदिवासी विकास एवं
विकास आयुक्त, म. प्र. पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश.

विषय.—शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजना लाभ.

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षक संवर्ग को वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् यदि अगले 12 वर्ष तक पदोन्नति प्राप्त नहीं होती है तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू की गई क्रमोन्नति योजना की अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो इस संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाए.

2. शिक्षक संवर्ग का वरिष्ठ वेतनमान व क्रमोन्नति वेतनमान निम्नानुसार रहेगा.—

क्र. (1)	पदनाम (2)	प्रारंभिक वेतनमान रुपये (3)	वरिष्ठ वेतनमान रु. (12 वर्ष उपरांत) (4)	क्रमोन्नति वेतनमान रु. (24 वर्ष उपरांत) (5)
1.	सहायक शिक्षक	4000-6000	5000-8000	5500-9000
2.	शिक्षक	5000-8000	5500-9000*	6500-10500
3.	व्याख्याता	5500-9000	6500-10500*	7500-12000

***टीप—क्रमोन्नति वेतनमान**

3. क्रमोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19-4-99 में निहित अन्य सभी शर्तें यथावत लागू होंगी. ये आदेश दिनांक 1-8-2003 से प्रभावशील माने जायेंगे.

4. उपर्युक्त पद दो के कॉलम 5 में उल्लेखित क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृति उपरांत वेतन निर्धारण के कारण नियमित पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के समय कोई विसंगति दिखाई देती है तो उसकी निराकरण इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1-1-/1/वेआप्र/99, दिनांक 18-8-2005 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा.

5. यह आदेश वित्त विभाग की यू.ओ.टीप क्रमांक 965/1647/ नियम/चार, दिनांक 3-9-2005 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी किए गए हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष डाफणे)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

CamScanner

परिशिष्ट-(क)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी 3–04/2018/3/एक भोपाल, दिनांक 29 जून, 2018

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय
भोपाल

विषय :– जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1477/2796/3/1/05, दिनांक 03/09/2005, परिपत्र क्रमांक सी 3–05/2017/3/एक, दिनांक 26/04/2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3–09/2017/3/एक, दिनांक 25/10/2017

– 0 – 0 –

संदर्भित आदेशो द्वारा शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजनान्तर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पर प्रथम एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था। राज्य शासन एतद्द्वारा सहायक शिक्षको एवं शिक्षको को निरन्तर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है :–

पद व प्रारम्भिक वेतनमान	12 वर्ष (प्रथम वरिष्ठ वेतनमान)	24 वर्ष (द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान)	30 वर्ष (तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान)
सहायक शिक्षक (एल.डी.टी.) 4000–6000 (5200–20200+ 2400ग्रेड–पे)	5000–8000 (9300–34800+3200 ग्रेड–पे)	5500–9000 (9300–34800+3600 ग्रेड–पे)	9300–34800+4200 ग्रेड–पे
शिक्षक (यू.डी.टी.) 5000–8000 (9300–34800+3200 ग्रेड–पे)	5500–9000 (9300–34800+3600ग्रेड– पे)	6500–10500 (9300–34800+4200ग्रेड–पे)	15600–37100+6600ग्रेड–पे

2/ क्रमोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19.04.99 में निहित अन्य सभी शर्ते यथावत लागू होगी। तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान दिनांक 01/07/2014 से प्रभावशील माना जाएगा।

(हस्ताक्षर)

....2

CS CamScanner

3/ यह आदेश वित्त विभाग की यू.ओ.टीप क्रंमाक 710/820/2018/वित्त/नियम/ चार, दिनांक 17.04.2018 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी किए गए है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी0बी0पड़वार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रंमाक सी 3–04/2017/3/एक भोपाल, दिनांक 29 जून, 2018

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव,म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव,(समन्वय) म0प्र0शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
7. विशेष सहायक, मान0 मंत्री/राज्यमंत्री जनजातीय कार्य विभाग म0प्र0 भोपाल।
8. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
9. आयुक्त, आदिवासी विकास म0प्र0 भोपाल
10. आयुक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र म0प्र0 भोपाल
11. समस्त कलेक्टर, म0प्र0।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास/लोक शिक्षण म0प्र0।
13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी म0प्र0।
14. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13. आर्डर बुक।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

CamScanner